खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2014

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्द्वारा चीफ कंट्रोलर आफ माईन्स, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के परिपत्र क्रमांक N-11013/3/MP/90/CCOM Vol-VII, Circular No. 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-02 के बिन्दु क्रमांक-02 के तारतम्य में Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका के कालम नंबर-02 में दर्शित संस्थान को कालम नंबर-03 में दर्शित खनिज से संबंधित खनिज रियायतों के लिए अधिमान्यता प्रदान करता है :—

तालिका

क्र.	एजेन्सी का नाम एवं पता	अधिमान्यता का विवरण
1.	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, एम.आई.जी.-25 इन्द्रावती कालोनी, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)	राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु.
2.	स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई-490001, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)	राज्य में स्थित स्वयं की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु.
3.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ जियो-स्पेशल डाटा सेंटर, सर्वे आफ इंडिया, रीना अपार्टमेंट 3रां फ्लोर, पचपेड़ी नाका, धमतरी रोड, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)	राज्य में समस्त खनिजों की खनि रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु.

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थान के लिये शर्तें :—

1. Coordinats of boundry pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.

2. Each boundry pillar shall be surved using DGPS, at least 2 Hours observation, for its ground position.

3. The maximum distance between any two successive pillars should not be more than 100 meter.

4. All corner pillar should be of pyramid shaped whith base of 1 meter and height of 2 meter and should be placed 1 mater above the ground and 1 meter below the ground.

5. Distance and bearing to the forward and backward pillars and latitudes and longitudes should be market on all the corner pillars.

3. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को भी शामिल किया जाना होगा :—

1. उपरोक्त बिन्दु में दर्शित कार्य के लिए खनिज रियायतधारी द्वारा अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को भुगतान करना होगा. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जाएगा.

2. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.

3. यह अधिमान्यता इस आदेश के जारी होने से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.